



मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
प्रयागराज-211004 (भारत)
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Prayagraj-211004 [India]

No. CWM/Auction/Trees/2022-23/ 220

Date: 30/08/2022


नीलामी सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के परिसर में विभिन्न प्रजाति के हरे/सूखे कटे पड़े हुए वृक्षों की नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाना निश्चित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था/फर्म/संगठन वृक्षों को देखने के लिए इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता कार्यालय से सम्पर्क करें। नीलामी की तिथि, समय व स्थान एवं धरोहर राशि का विवरण निम्नलिखित है। नीलामी के लिए वृक्षों की सूची कार्यालय के सूचना पट्ट पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

1.	नीलामी का स्थान	:	कार्यालय वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता प्रशासनिक भवन, मो0ने0रा0प्रौ0सं0 इलाहाबाद, प्रयागराज.
2.	वृक्ष/शाखाओं को दिखाने की तिथि व समय	:	01.09.2022 से 10.09.2022 तक (11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न के मध्य में)
3.	नीलामी का दिन व समय	:	14.09.2022 (03.00 बजे अपराह्न)
4.	धरोहर की राशि/ धनराशि (अर्नेस्ट मनी)	:	रु0 10,000/- (रु0 दस हजार रुपये मात्र) राष्ट्रीयकृत बैंक से निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज [Director, MNNIT Allahabad, Prayagraj] के नाम से बना बैंक ड्रॉफ्ट

विस्तृत जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट देखें।

सभी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, विस्तार आदि (यदि कोई हो), केवल उपरोक्त दिए गए वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।


(मनीष कुमार)
वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता


30/8/2022



मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद
प्रयागराज-211004 (भारत)
Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad
Prayagraj-211004 [India]

No. CWM/Auction/Trees/2022-23/ 220

Date: 30/08 / 2022

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के परिसर में विभिन्न प्रजाति के हरे/सूखे कटे पड़े हुए वृक्ष हैं। जिसकी नीलामी दिनांक 14.09.2022 को 3.00 बजे अपराह्न अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किया जाना है।

अतः उपर्युक्त दिनांक 14.09.2022 को उपस्थित हो कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की शर्तें

1. केवल वही व्यक्ति नीलामी स्थल पर उपस्थित रह सकते हैं जिन्होंने धरोहर राशि जमा की हो या अपने साथ डीडी/एफडीआर के रूप में लाये हों। उनके अतिरिक्त उनके सहायकों को नीलामी स्थल पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालय द्वारा ब्लैकलिस्टेड किये गये व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
2. नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीलामी में पहले धरोहर राशि के रूप में ₹ 10,000.00 जमा करना अनिवार्य है। धरोहर राशि, राष्ट्रीयकृत बैंक से बना हुआ बैंक ड्रॉपट जो कि निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज के पक्ष में देय हो द्वारा ली जायेगी।
3. बोली समाप्त होने के बाद सफल बोली देने वाले व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा करनी होगी, शेष रूपया नीलामी की स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के बाद इस कार्यालय द्वारा निर्धारित समय (20 दिन) में जमा करना होगा, अन्यथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और वृक्षों को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा तथा उसे ब्लैकलिस्टेड भी किया जा सकता है।
4. बोली अनुमानित न्यूनतम मूल्य से कम धनराशि पर स्वीकृति नहीं की जायेगी।
5. निदेशक, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज को बिना कारण बताये बोली निरस्त करने का अधिकार है।


K. Singh अधीक्षक


6. इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति नीलामी में भाग ले रहा है, बोली स्वीकृति होने के बाद केवल उसी के नाम पर अधिकार पत्र जारी किया जाएगा तथा केवल उसी को वृक्ष संस्थान परिसर से बाहर ले जाने का अधिकार होगा। उस समय व्यक्ति को नीलामी को किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्थानान्तरित करने/सबलेट करने/ दोबारा बेचने का अधिकार नहीं है। यदि इस नीलामी के समय या उसके बाद यह पाया गया कि उच्चतम बोली बोलने वाले ने किसी के छद्म नाम/फर्म में नीलामी ली है या उसे किसी अन्य दूसरे व्यक्ति फर्म को सबलेट कर दिया है या पेट्री कांट्रेक्ट दे दिया है तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसकी बोली की राशि/धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगी एवं नीलामी पुनः की जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि किसी फर्म में 3 या 4 पार्टनर है तथा कोई व्यक्ति उस फर्म के पार्टनर की हैसियत से बोली लगा रहा है तो नीलामी शुरू होने से पहले ही उसे फर्म के पार्टनरशिप से संबंधित सभी सरकारी वैध कानूनी दस्तावेज जैसे इनकम टैक्स क्लीएरेन्स सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड (जिसमें सभी पार्टनर्स के नाम हो) आदि प्रस्तुत करने होंगे। नीलामी के बाद इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
7. बोली में लिए गए वृक्षों को 20 दिनों के अन्दर उठा कर संस्थान परिसर से बाहर ले जाना होगा। यदि ठेकेदार उक्त अवधि के अन्दर वृक्षों को नहीं ले जाता है तो उन बचे वृक्षों को अवधि समाप्त होने के पश्चात जब्त कर लिया जायेगा और फिर से नीलाम कर दिया जाएगा।
8. ठेकेदार हरे/सूखे कटे पड़े हुए वृक्षों को वाहर ले जाते समय संस्थान में किसी प्रकार की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुँचायेगा। जैसे मकानों का टूटना, बिजली के तारों, अन्य वृक्षों इत्यादि का टूटना आदि किसी प्रकार का नुकसान होता है तो ठेकेदार उसे अपने खर्चे पर बनवाकर देगा अन्यथा उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी और नियमानुसार ठेकेदार के प्रति कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
9. ठेकेदार कोई भी वृक्ष /प्रकाष्ठ सरकारी अवकाश व रविवार को संस्थान परिसर से बाहर नहीं ले जायेगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो वृक्ष /प्रकाष्ठ तथा 20 प्रतिशत जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
10. वृक्षों के उठाने की शुरुआत से पहले ठेकेदार इस कार्यालय को लिखित रूप से सूचित करेगा कि किस समय वृक्ष उठाने जा रहा है तथा इस कार्यालय के वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता या प्रतिनिधि के सामने ही वृक्ष उठाये जाएंगे।

Handwritten signature

Handwritten signature

11. वृक्षों को उठाने का कार्य सुबह 8:00 से सांय 5:00 बजे तक ही कर सकते हैं तथा प्रकाष्ठ का उठान सांय 6:00 बजे के बाद संस्थान परिसर के बाहर नहीं होगा इसके बाद यदि कोई ठेकेदार वृक्ष /प्रकाष्ठ का उठाना करता है तो उसका आर्डर निरस्त कर दिया जाएगा।
12. नीलामी में विवाद की स्थिति में निदेशक मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, प्रयागराज का निर्णय अंतिम होगा और कानूनी तौर पर मान्य होगा।
13. सक्षम अधिकारी नीलामी के समय वृक्षों की संख्या घटा-बढ़ा सकते हैं।
14. यदि वृक्षों को उठाने के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदार ने नीलाम किए गए वृक्षों /शाखाओं के अतिरिक्त कोई अन्य वृक्ष ले जा रहा है या उनको नुकसान पहुँचाया है तो नीलामी निरस्त करके उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा उससे हर्जाना वसूलने के साथ-साथ पुलिस कार्यवाही भी की जायेगी। इस स्थिति में उनको इस कार्यालय तथा अन्य सरकारी कार्यालयों से ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
15. वृक्षों की नीलामी "जैसी है, जहाँ है", के आधार पर है इसलिए वृक्षों की नीलामी से पहले सम्बन्धित ठेकेदार को वृक्षों को देखने के समय स्वयं इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि वृक्षों की संख्या, प्रकार तथा माप-स्थिति क्या हैं इसके बारे में नीलामी के बाद किसी तरह का विवाद या दावा मान्य नहीं होगा। यदि नीलामी के बाद उसकी स्वीकृति उच्च अधिकारियों से आने में कुछ समय लग जाता है तो इस अवधि में यदि नीलाम किए वृक्षों में से कुछ वृक्ष स्थल पर गिर जाते हैं तो इस विषय में ठेकेदार से कोई भी दावा या विवाद या पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. वृक्षों को उठाने के पश्चात उठवाने के समय या उसके बाद यदि ठेकेदार से किसी व्यक्ति का कानूनी/सिविल या फौजदारी का विवाद होता है तो उस विवाद में न तो यह कार्यालय पार्टी बनेगा और न ही उसके लिए जिम्मेदार होगा।
17. सम्बन्धित संस्थान में कार्य करते हुए ठेकेदार पर उस सम्बन्धित संस्थान परिसर के सभी नियम लागू होंगे।
18. ठेकेदार को वन विभाग/पुलिस विभाग आदि से सम्बन्धित औपचारिकताएं जैसे परमिट/ट्रंजिट परमिट आदि स्वयं ही लेना पड़ेगा तथा नियमानुसार देय शुल्क भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा जो कि इस कार्यालय का उत्तरदायित्व नहीं है।
19. सभी बोलीदाताओं के पास अपना पैन कार्ड होना अनिवार्य है एवं उसकी एक स्वप्रमाणित छायाप्रति भी देनी होगी।





20. उच्चतम बोली बोलने वाले को उच्चतम बोली पर आयकर अधिनियम के अर्न्तत देय शुल्क का भुगतान करना होगा।
21. बोली कम से कम रू0 100/- के गुणकों में आगे बढ़ेगी।
22. सफल बोलीदाता को अपनी पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो 4 (चार) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करनी होगी।
23. यदि ठेकेदार इस नीलामी में भाग ले रहा है तो यह माना जाएगा कि उसने उपरोक्त सभी शर्तों को पढ़ लिया है तथा उससे सहमत है तथा उसने सभी वृक्ष देख लिए हैं। इस विषय में भविष्य में कोई विवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
24. सभी कानूनी विवादों का क्षेत्र प्रयागराज न्यायालय होगा।

मनीष कुमार

(मनीष कुमार) 30/08/22

वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता

Singha
30/8/2022